

अध्याय 01: संविधान निर्माण — संविधान सभा, प्रभाव-स्रोत एवं दार्शनिक आधार

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संविधान सभा की माँग (1934-1946)

वर्ष / घटना	प्रस्तावक / संस्था	विवरण एवं ऐतिहासिक परिणाम
1934	एम.एन. रॉय (M.N. Roy)	सर्वप्रथम स्वतंत्र संविधान सभा (Constituent Assembly) का विचार रखा (साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता)
1935	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बार माँग
1938	पं. जवाहरलाल नेहरू	घोषणा: स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित सभा बनाएगी
1939	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित कर नेहरू की माँग को आधिकारिक नीति बनाया
1940	अगस्त प्रस्ताव (August Offer)	ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की माँग को सैद्धांतिक रूप से पहली बार आधिकारिक स्वीकृति
1942	क्रिप्स मिशन (Cripps Mission)	सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का प्रस्ताव: द्वितीय विश्वयुद्ध बाद निर्वाचित सभा; मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत (2 सभाओं की माँग)
1946	कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission)	3 सदस्यीय मिशन (पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर); आगमन 24 मार्च 1946, योजना 16 मई 1946; 1 ही संविधान सभा का व्यावहारिक खाका प्रस्तुत

2. संविधान सभा की संरचना, सीट आवंटन एवं चुनाव पद्धति

एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote - STV): अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें मतदाता वरीयता (1st, 2nd, 3rd) दर्ज करते हैं और निर्धारित कोटा पाने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होते हैं।

इकाई / क्षेत्र	सीटें	प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन प्रक्रिया का स्वरूप
ब्रिटिश भारत (11 गवर्नर प्रांत)	292	मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (NWFP), सिंध, बंगाल, असम; प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन
मुख्य आयुक्त प्रांत (Chief Comm.)	4	4 प्रांत (प्रत्येक से 1 सीट): दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कूर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान
देशी रियासतें (Princely States)	93	रियासतों के शासकों/प्रमुखों द्वारा सीधे मनोनीत (चुनाव में भाग नहीं लिया)
कुल मूल सदस्य संख्या	389	जनसंख्या अनुपात: प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 सीट निर्धारित
विभाजन उपरांत सदस्य संख्या	299	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 व विभाजन उपरांत शेष बची संख्या (229 प्रांतीय + 70 रियासती)

समुदाय	सीटें	सामाजिक वर्ग	संख्या
हिंदू	163	अनुसूचित जातियाँ (SC)	31
मुसलमान	80	पिछड़ी जनजातियाँ (ST)	6
भारतीय ईसाई	6	महिला सदस्य (Women)	15
सिख (पंजाब में)	4	ऐंग्लो-इंडियन (Anglo-Indian)	3
पारसी	3	—	—

विशेष तथ्य: महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महिला सदस्यों में हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर आदि प्रमुख।
राजस्थान प्रतिनिधित्व: राजपूताना रियासतों से कुल 13–15 प्रतिनिधि (जयपुर 3, जोधपुर 2, उदयपुर 2, बीकानेर 1, कोटा 1, अलवर 1); वी.टी. कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा आदि प्रमुख।

3. कार्यप्रणाली, प्रमुख पदाधिकारी एवं स्वतंत्रता अधिनियम 1947

दायित्व / पद	नाम / व्यक्तित्व	दिनांक एवं ऐतिहासिक विवरण
प्रथम बैठक	207 सदस्य उपस्थित	9 दिसम्बर 1946 (मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार; सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली)
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा	9 दिसम्बर 1946 (वरिष्ठतम सदस्य; फ्रांसीसी परंपरा अनुसार मनोनयन)
स्थायी अध्यक्ष	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	11 दिसम्बर 1946 (सर्वसम्मति से निर्वाचित)
उपाध्यक्ष (दो उपाध्यक्ष)	एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णमाचारी	एच.सी. मुखर्जी (25 जनवरी 1947); वी.टी. कृष्णमाचारी (16 जुलाई 1947)
संवैधानिक सलाहकार	सर बी.एन. राव (Sir B.N. Rau)	संविधान का प्रारंभिक कच्चा प्रारूप तैयार करने वाले विशेषज्ञ
सभा के सचिव	एच.वी.आर. आयंगर (H.V.R. Iengar)	संविधान सभा के आधिकारिक सचिव
मुख्य प्रारूपकार	एस.एन. मुखर्जी (S.N. Mukherjee)	(Chief Draftsman) — अनुच्छेदों की कानूनी भाषा के शिल्पी

विषय / आयाम	स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पूर्व	स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पश्चात्
निकाय का स्वरूप	ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से निर्मित सीमित निकाय	पूर्णतः संप्रभु निकाय (Sovereign Body); ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करने में सक्षम
सदन की दोहरी भूमिका	केवल संविधान निर्माण का दायित्व	दोहरा कार्य: (1) संविधान निर्माण (अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद), (2) विधायिका/संसद (अध्यक्ष: जी.वी. मावलंकर)
सदस्य संख्या	कुल 389 सदस्य (अविभाजित भारत)	कुल 299 सदस्य (विभाजन उपरांत पाकिस्तान क्षेत्र अलग)

4. उद्देश्य प्रस्ताव (Objectives Resolution, 1946)

उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसम्बर 1946 को पं. नेहरू द्वारा प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकृत। यह संविधान का मूल दार्शनिक मार्गदर्शक बना, जिसका संशोधित रूप वर्तमान प्रस्तावना (Preamble) है।

प्रमुख दार्शनिक आधार	उद्देश्य प्रस्ताव में अंतर्निहित मूल प्रावधान
संप्रभु गणराज्य	भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य (Independent Sovereign Republic) घोषित करना
संघीय व्यवस्था	ब्रिटिश भारत, देशी रियासतों व अन्य क्षेत्रों का एक संघ (Union); स्वायत्त इकाइयाँ
जनता की सर्वोच्चता	संप्रभु स्वतंत्र भारत की समस्त शक्तियाँ एवं प्राधिकार सीधे जनता से व्युत्पन्न
न्याय व स्वतंत्रता	समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता
सुरक्षा कवच	अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित वर्गों हेतु पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय (Safeguards)
विश्व शांति	क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं मानव कल्याण में भारत का सक्रिय योगदान

5. संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उप-समितियाँ

प्रमुख समिति (Major Committee)	अध्यक्ष (Chairman)	प्रमुख कार्यक्षेत्र / दायित्व
संघ शक्ति समिति (Union Powers Comm.)	पं. जवाहरलाल नेहरू	केंद्रीय शक्तियों व विषयों का निर्धारण
संघ संविधान समिति (Union Const. Comm.)	पं. जवाहरलाल नेहरू	संघीय कार्यपालिका व संसद का ढाँचा
प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Const.)	सरदार वल्लभभाई पटेल	प्रांतों के संवैधानिक स्वरूप की रूपरेखा
प्रारूप समिति (Drafting Committee)	डॉ. भीमराव अंबेडकर	नए संविधान का वास्तविक वैधानिक प्रारूप बनाना
मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातीय समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल	नागरिक अधिकारों व संरक्षण हेतु वृहद समिति
प्रक्रिया नियम समिति (Rules of Procedure)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	सभा की कार्यप्रणाली संचालन नियम
राज्य समिति (राज्यों से वार्ता हेतु)	पं. जवाहरलाल नेहरू	रियासतों व राज्यों से बातचीत एवं समन्वय
संचालन समिति (Steering Committee)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	सदन के दैनिक कार्य-व्यापार का संचालन

महत्वपूर्ण उप-समिति / लघु समिति	अध्यक्ष (Chairman)	दायित्व / विषय
मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी. कृपालानी (J.B. Kripalani)	मूल अधिकारों की सूची का निर्धारण
अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी (H.C. Mukherjee)	अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की सिफारिश
उत्तर-पूर्व सीमा जनजातीय व असम क्षेत्र उप-समिति	गोपीनाथ बारदोलोई (Gopinath Bardoloi)	असम व पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्रों का प्रशासनिक प्रारूप
अपवर्जित/आंशिक अपवर्जित क्षेत्र (असम अतिरिक्त)	ए.वी. ठक्कर (A.V. Thakkar)	जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक उपाय
राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति (Ad-hoc on Flag)	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण संबंधी परामर्श
कार्य संचालन समिति (Order of Business)	डॉ. के.एम. मुंशी	दैनिक विधायी कार्यसूची का निर्धारण
सदन समिति (House Committee)	बी. पट्टाभि सीतारमैया	सदस्यों के आवास व अन्य व्यवस्थाएँ
प्रत्यय-पत्र समिति (Credentials Committee)	अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर	सदस्यों की पात्रता व प्रत्यय-पत्रों की जाँच

6. प्रारूप समिति (Drafting Committee) एवं डॉ. बी.आर. अंबेडकर

क्र.	सदस्य का नाम	संवैधानिक दायित्व एवं प्रतिस्थापन विवरण
1	डॉ. भीमराव अंबेडकर (अध्यक्ष)	भारतीय संविधान के जनक व मुख्य वास्तुकार (Chief Architect); प्रारूप के प्रणेता
2	एन. गोपालस्वामी अय्यंगार	प्रारूपण में प्रमुख प्रशासनिक व विधिक योगदान
3	अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर	प्रख्यात न्यायविद्, संवैधानिक अनुच्छेदों के विशेषज्ञ
4	डॉ. के.एम. मुंशी	साहित्यकार व विधिवेत्ता; कांग्रेस के सक्रिय नेता
5	सैयद मोहम्मद सादुल्ला	असम के पूर्व प्रधानमंत्री; एकमात्र मुस्लिम लीग सदस्य
6	एन. माधव राव	बी.एल. मित्र के अस्वस्थता के कारण त्यागपत्र देने पर स्थान ग्रहण
7	टी.टी. कृष्णमाचारी	1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात रिक्त स्थान पर नियुक्त

कार्यकाल व प्रारूप प्रकाशन: गठन: 29 अगस्त 1947। कुल बैठकें: 141 दिन। प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित (जनता को 8 माह का समय)। द्वितीय प्रारूप अक्टूबर 1948 में जनता की टिप्पणियों के उपरांत प्रकाशित।

प्रारूप समिति सदस्य याद रखने की युक्ति: 'अंबेडकर आए, मुंशी सादुल्ला संग; माधव-कृष्ण ने संभाला खेतान-मित्रर का रंग।'

7. संविधान निर्माण के चरण, वाचन एवं प्रमुख आँकड़े

वाचन (Reading)	समयावधि	प्रमुख प्रक्रिया एवं कार्य-प्रगति
प्रथम वाचन (First Reading)	4 नव. 1948 – 9 नव. 1948	डॉ. अंबेडकर द्वारा सभा में अंतिम प्रारूप पेश; 5 दिन तक सामान्य चर्चा
द्वितीय वाचन (Second Reading)	15 नव. 1948 – 17 अक्टू. 1949	खंड-दर-खंड (Clause by clause) गहन विचार; कुल 7,653 संशोधन प्रस्तावित, 2,473 पर वास्तविक चर्चा
तृतीय वाचन (Third Reading)	14 नव. 1949 – 26 नव. 1949	डॉ. अंबेडकर का प्रस्ताव पेश; 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित

संविधान निर्माण सांख्यिकी	आधिकारिक आँकड़ा	संविधान निर्माण सांख्यिकी	आधिकारिक आँकड़ा
कुल निर्माण समय	2 वर्ष 11 माह 18 दिन	कुल सत्र (Sessions)	11 सत्र
कुल बैठकें (Sittings)	165 दिन	प्रारूप पर विचार अवधि	114 दिन
प्रारूप समिति बैठकें	141 दिन	कुल आधिकारिक व्यय	लगभग ₹64 लाख
मूल संरचना	प्रस्तावना + 395 अनु. + 8 अनुसूचियाँ	अंतिम हस्ताक्षरकर्ता	284 सदस्य (299 में से उपस्थित)

8. प्रवर्तन (Enforcement), विशेष अनुच्छेद एवं सुलेखन

प्रवर्तन तिथि	लागू किए गए विशिष्ट प्रावधान / अनुच्छेद	ऐतिहासिक / कानूनी औचित्य
26 नवम्बर 1949 (अंगीकरण)	अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता); अनु. 60 (शपथ); अनु. 324 (चुनाव); अनु. 366, 367, 379, 380 (अंतरिम संसद); अनु. 388, 391, 392, 393 (संक्षिप्त नाम)	तात्कालिक प्रशासनिक व चुनावी आवश्यकताओं हेतु तुरंत प्रभावी किए गए
26 जनवरी 1950 (प्रारंभ तिथि)	शेष संपूर्ण संविधान पूर्ण रूप से लागू (संविधान की आधिकारिक 'Date of Commencement')	1929 लाहौर अधिवेशन के संकल्प अनुसार 26 जनवरी 1930 को मनाए गए 'पूर्ण स्वराज दिवस' (Purna Swaraj) की ऐतिहासिक स्मृति में
निरस्तीकरण प्रभाव	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 दोनों स्वतः निरस्त	प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 (Abolition of Privy Council Act) चालू रखा गया

अनुच्छेद 394-A (58वें संशोधन, 1987): राष्ट्रपति के प्राधिकार से संविधान का हिंदी में प्रामाणिक पाठ प्रकाशित किया जाएगा, जो विधिक प्रयोजनों में अंग्रेजी पाठ के समान ही आधिकारिक व मान्य होगा।

विशिष्ट आयाम	नाम / विवरण	विशिष्ट आयाम	नाम / विवरण
संविधान सभा की मुहर (प्रतीक)	हाथी (Elephant)	अंग्रेजी सुलेखक (Calligrapher)	प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा (इटैलिक हस्तलिपि)
हिंदी संस्करण सुलेखक	वसंत कृष्ण वैद्य	पृष्ठ अलंकरण व चित्रकारी	नंदलाल बोस व ब्योहार राममनोहर सिन्हा (शांतिनिकेतन)
संविधान दिवस (Constitution Day)	26 नवम्बर (19 नव. 2015 को घोषित)	प्रथम राष्ट्रपति शपथ	डॉ. राजेंद्र प्रसाद (26 जनवरी 1950)

9. संविधान के प्रभाव-स्रोत (Sources of the Constitution)

स्रोत विश्लेषण: डॉ. अंबेडकर अनुसार संविधान 'विश्व के ज्ञात संविधानों की गहन छानबीन (Ransacking)' के बाद बना। 250+ उपबंध 1935 के अधिनियम से लिए गए।

स्रोत देश / अधिनियम	भारतीय संविधान में ग्रहण की गई प्रमुख विशेषताएँ एवं प्रावधान
1. भारत सरकार अधिनियम 1935 (सर्वाधिक प्रभाव)	संघीय ढाँचा (Federal Scheme), राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढाँचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रशासनिक उपबंध, प्रशासनिक विवरण
2. ब्रिटेन (UK)	संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन (Rule of Law), विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार रिटे (Prerogative Writs), संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद
3. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	मूल अधिकार (Fundamental Rights), न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment), SC/HC न्यायाधीशों को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद
4. आयरलैंड (Ireland)	राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में 12 साहित्य-कला-विज्ञान-सेवा सदस्यों का मनोनयन
5. कनाडा (Canada)	सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) केंद्र को सौंपना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, SC का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)
6. ऑस्ट्रेलिया (Australia)	समवर्ती सूची (Concurrent List), व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting)
7. जर्मनी (Weimar)	आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन/निलंबन
8. सोवियत संघ (USSR / रूस)	मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) एवं प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय) का आदर्श
9. फ्रांस (France)	गणतंत्रात्मक ढाँचा (Republic) तथा प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व (Liberty, Equality, Fraternity) के आदर्श
10. दक्षिण अफ्रीका (South Africa)	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
11. जापान (Japan)	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law – अनुच्छेद 21)

10. संविधान का दार्शनिक आधार (Philosophical Basis)

दार्शनिक विचारधारा	संविधान में व्यावहारिक प्रतिबिंब / उपबंध	संवैधानिक दर्शन एवं उद्देश्य
उदारवादी-व्यक्तिवादी धारा (Liberal-Democratic)	भाग 3 (Part III: मूल अधिकार), स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, विधि का शासन	व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समता एवं मानवीय गरिमा की संप्रभु रक्षा
समाजवादी-कल्याणकारी धारा (Socialist-Welfare)	भाग 4 (Part IV: DPSP), सामाजिक-आर्थिक न्याय, समान कार्य हेतु समान वेतन, संपदा संकेंद्रण पर रोक	कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना व विषमता निवारण
गांधीवादी विचारधारा (Gandhian Philosophy)	अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतें), कुटीर उद्योग, मद्यनिषेध, गोवंश संरक्षण, कमजोर वर्गों की उन्नति	लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज एवं आत्मनिर्भरता की भावना

11. संविधान सभा की प्रमुख आलोचनाएँ एवं संतुलित प्रत्युत्तर

प्रमुख आलोचना	आलोचकों का प्रमुख तर्क / कथन	संतुलित प्रत्युत्तर / ऐतिहासिक यथार्थ
प्रतिनिधिक निकाय नहीं (Not Representative)	सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी	अप्रत्यक्ष निर्वाचन के बावजूद हिंदू, मुस्लिम, सिख, SC, ST, पारसी, ईसाई व 15 महिलाओं सहित सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व था
संप्रभुता का अभाव (Not Sovereign)	ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन प्रस्तावों से बनी; ब्रिटिश वायसराय की अनुमति पर बैठकें	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा सभा पूर्ण संप्रभु बनी; किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई
समय का अत्यधिक अपव्यय	नज़ीरुद्दीन अहमद ने तंज कसते हुए 'ड्रिफ्टिंग समिति' (Drifting Committee) कहा (अमेरिकी संविधान 4 माह में बना)	भारत की विशाल जनसंख्या, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता, विभाजन की त्रासदी व रियासतों के एकीकरण हेतु 165 दिन की विस्तृत बहस आवश्यक थी
कांग्रेस का वर्चस्व	ग्रैनविले ऑस्टिन (Granville Austin) का कथन: ('Assembly was the Congress and the Congress was India')	कांग्रेस केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का संयुक्त मंच थी; अंबेडकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे गैर-कांग्रेसी भी शामिल थे
वकीलों-राजनेताओं का प्रभुत्व	आईवर जेनिंग्स (Ivor Jennings) ने इसे ('Lawyer's Paradise') कहा; जटिल व विस्तृत कानूनी भाषा	नवजात स्वतंत्र राष्ट्र के लिए सुदृढ़ वैधानिक ढाँचा, अधिकारों की सूक्ष्म व्याख्या व भविष्य के विवादों से बचाव हेतु विधिक दक्षता अपरिहार्य थी
हिंदू प्रभुत्व का आरोप	लॉर्ड विस्काउंट साइमन का कथन ('A body of Hindus'); विंस्टन चर्चिल: केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व	जनसंख्या अनुपात में हिंदू बहुसंख्यक थे, किंतु अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए विशेष मौलिक अधिकार (अनु. 29-30) व सलाहकार समितियाँ गठित की गईं